

बिहार सरकार
समाहरणालय-लखीसराय
(नजारत शाखा)

दूरभाष : 06346-232124 (कार्या0)
: 06346- 232490 (आ0)
फैक्स : 06346- 232767
ई-मेल : dm-lakhisarai.bih@nic.in

पत्रांक- 301 /न0, दिनांक- 10-10-2017

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी
लखीसराय।

प्रेषित,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-

विज्ञापन प्रकाशन करने के संबंध में।

महशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वाहन अधिग्रहण से संबंधित निविदा आमंत्रण सूचना एवं विहित प्रपत्र चार प्रति में, सी0डी0 के साथ संलग्न कर भेजा जाता है।

अनुरोध है कि दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन यथशीघ्र करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :-

1. निविदा चार प्रति में
2. सी0डी0 एक प्रति में

द्विवासभाजन,


10/10/17

जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।

समाहरणालय, लखीसराय

जिला नजारत प्रशाखा

निविदा विज्ञापन संख्या-01/2017

व्यवसायिक वाहनों का भाड़ा निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

समाहरणालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिले में पदस्थापित वरीय उप समाहर्ता तथा गणमान्य अतिथियों के भ्रमण हेतु व्यवसायिक वाहनों का मासिक/दैनिक भाड़ा निर्धारण हेतु इच्छुक व्यक्ति से विहित प्रपत्र में सील बंद लिफाफा में दिनांक-23.10.2017 को 03:30 बजे अप0 तक निविदा आमंत्रित किया जाता है। उसी दिन 04:00 बजे अप0 में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में कय समिति के समक्ष निविदा खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

शर्तें:-

तकनीकी शर्तें :-

- (i) निविदा के साथ 15000/- (पन्द्रह हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना होगा, जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से भुगतये होगा।
- (ii) व्यवसायिक वाहन का निबंधन प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, इन्सोरेंस, पथ कर प्रमाण पत्र, चालक की अनुज्ञप्ति की छायाप्रति भी संलग्न करना होगा।
- (iii) निविदादाता को आयकर निबंधित होने संबंधी दस्तावेज तथा अद्यतन आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना होगा।
- (iv) वाहन का निबंधन निविदादाता के नाम से होना चाहिए।
- (v) वाहन का मॉडल जनवरी-2016 के पूर्व का नहीं होना चाहिए, नये वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (vi) भाड़े पर लिये जानेवाले वाहन का दैनिक रख-रखाव वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय शर्तें :-

- (i) वित्तीय निविदा के वाहन का भाड़ा दर संलग्न प्रपत्र में अंकित करना होगा यह दर सभी कर सहित होना चाहिए।

अन्य शर्तें :-

- (i) वित्तीय एवं तकनीकी निविदा अलग-अलग लिफाफा में देना होगा।
- (ii) वाहन 24 घंटे जिला प्रशासन के अधीन रहेगा। आपूर्ति किये गये वाहन में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी होने पर तत्क्षण आपूर्तिकर्ता द्वारा दूसरे वाहन की व्यवस्था की जायेगी।
- (iii) वाहन मोबिल, ब्रेक ऑयल आदि की आपूर्ति, वाहन मरम्मती पर व्यय तथा चालक का भुगतान आपूर्तिकर्ता को करना होगा। जिला प्रशासन द्वारा इंधन रहित वाहन को वाहन के लॉग बुक में अंकित दूरी एवं किलोमीटर रीडिंग तथा इंधन खपत के आधार पर भुगतान की जायेगी।
- (iv) पूर्व में किसी सरकारी कार्यालय को वाहन आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता/प्रतिष्ठान को प्राथमिकता दिया जा सकता है, परन्तु इसके लिए प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (v) स्वीकृत प्रतिष्ठान को किराया के अतिरिक्त अन्य कोई कर अथवा शुल्क देय नहीं होगा। नियमानुसार अनुमान्य कर की कटौती विपत्र से की जायेगी।
- (vi) दर निर्धारण के पश्चात स्वीकृत प्रतिष्ठान/आपूर्तिकर्ता को एक वर्ष का एकरारनामा करना होगा।
- (vii) इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट <http://lakhisarai.bih.nic.in> पर देखा जा सकता है अथवा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- (viii) निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।



जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।

1. निविदादाता का नाम एवं पता :-
(मोबाईल नं० सहित)
2. निविदादाता का बैंक खाता संख्या :-
(पासबुक की छायाप्रति)
3. निविदा की सुरक्षित राशि- 15000 / - (पन्द्रह हजार)
4. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक सं०:-

क्र०सं०	वाहन प्रकार एवं वाहन संख्या	निबंधित प्रमाण-पत्र	बीमा प्रमाण -पत्र	फिटनेश प्रमाण -पत्र	सुरक्षित राशि (15000)	चालक का लाइसेंस प्रमाण -पत्र	वाहन कय करने की तिथि	टैक्स कब तक जमा है।	वाहन की क्षतिपूर्ति राशि प्रति माह इंधन रहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Safari Storme								
2	Safari								
3	Innova								
4	XUV (Manindra)								
5	Scorpio S-6								
6	Scorpio S-4								
7	Scorpio								
8	Tata SUMO (AC/None AC)								
9	Beloro (AC/None AC)								
									11